पत्र संख्या : 7ब / 2702–स्था०व्य०यो०ज०सं०–08 / 2018.......104

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

डी०के०तिवारी
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका
संबंधित अधीक्षण अभियंता /
संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक 11-04-18

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 के मांग संख्या– 50–जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2702– लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–02–भू–जल, लघु शीर्ष–005 अन्वेषण, उप शीर्ष–01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट मुख्य शीर्ष **2702– लघु सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 2702–लघु सिंचाई	02– भू–जल	005–अन्वेषण / 01–सर्वेक्षण एवं जॉच	**6401.300**

कुल आवंटित राशि – **रुपये चौसठ करोड़ एक लाख तीस हजार मात्र**

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट उपबंध ₹ 10727.15 लाख **(एक सौ सात करोड़ सत्ताईस लाख पन्द्रह हजार)** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से हीं किया जायेगा।

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित विभाग के पत्रांक – 29/बी टी ई–18/2014–15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आबंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत हीं अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। **अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरूद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No/ Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 दिसंबर 2018** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (***http://www.wrdjharkhand.nic.in)*** *पर भी उपलब्ध है।*

अनु॰ :– यथोक्त

(डी॰के॰तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 04 रॉची, दिनांक :– 11-04-18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा/दुमका/देवघर/मेदिनीनगर/हजारीबाग/खूँटी/गढ़वा/गुमला/चतरा/चाईबासा/धनबाद/बोकारो सहित **राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(डी॰के॰तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 04 रॉची, दिनांक :– 11-04-18

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज॰सं॰वि॰ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(डी॰के॰तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

मांग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष–2702–लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–02 भूजल
लघु शीर्ष–005 अन्वेषण/उप शीर्ष–01 सर्वेक्षण और जॉच

परिशिष्ट I

पत्रांक 04 दिनांक 11-09-18 का अनुलग्नक

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2018–2019	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11. 2000 के पूर्व का	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		50S270202005010101	50S2702020050101	50S270202005010112	50S270202005010213	50S270202005010315	50S270202005010316	50S270202005010323	50S270202005010333	50S270202005010334	50S270202005010337	50S270202005010442	50S270202005010760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	22.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.60	0.00	**23.30**	
2	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, रॉची	139.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.60	0.00	**140.30**	
3	योजना मोनेटरिंग एवं आयोजन अंचल–3,रॉची	52.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	**53.00**	
4	लघु सिचाई अंचल–चाईबासा	19.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**19.85**	
5	लघु सिचाई अंचल, दुमका	89.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**89.85**	
6	लघु सिंचाई अंचल, देवघर	12.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**12.85**	
7	लघु सिचाई अंचल–मेदिनीनगर	41.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**41.90**	
8	लघु सिचाई अंचल–रॉची	93.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**93.90**	
9	लघु सिंचाई अंचल–हजारीबाग	57.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**57.85**	
10	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल,दुमका	28.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	**28.60**	
11	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल–रॉची	189.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**189.85**	
12	लघु सिंचाई प्रमंडल–कोडरमा	127.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	**127.80**	
13	लघु सिंचाई प्रमंडल–खूँटी	237.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**237.85**	
14	लघु सिचाई प्रमंडल–गढ़वा	142.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**142.85**	
15	लघु सिंचाई प्रमंडल–गिरीडिह	188.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	**188.80**	
16	लघु सिंचाई प्रमंडल–गुमला	216.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**216.85**	
17	लघु सिचाई प्रमंडल–गोड्डा	228.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**228.85**	
18	लघु सिंचाई प्रमंडल–चतरा	168.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**168.85**	
19	लघु सिचाई प्रमंडल– चाईबासा	232.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	**232.80**	
20	लघु सिंचाई प्रमंडल–जमशेदपुर	323.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**323.85**	
21	लघु सिचाई प्रमंडल– जामताड़ा	196.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**196.85**	
22	लघु सिचाई प्रमंडल–दुमका	434.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**434.85**	
23	लघु सिचाई प्रमंडल– धनबाद	171.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**171.85**	
24	लघु सिंचाई प्रमंडल–पाकुड़	160.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	**160.80**	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(डी०के०तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2018–2019	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम	वेतन 50S270202005010101	15.11. 2000 के पूर्व का 50S27020 20050101	एल0टी0सी0 50S270202 005010112	देशीय यात्रा व्यय 50S270202 005010213	कार्यालय व्यय 50S2702020 05010315	किराया, दरें, कर 50S270202 005010316	आपूर्ति एवं सामग्री 50S270202 005010323	दूरभाष 50S270202 005010333	वर्दी 50S270202 005010334	विद्युत व्यय 50S270202 005010337	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति 50S270202005 010442	विधि प्रभार 50S270202 005010760	कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	लघु सिचाई प्रमंडल– बोकारो	189.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**189.85**	
26	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर	170.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**170.85**	
27	लघु सिचाई प्रमडल–रामगढ़	100.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**100.85**	
28	लघु सिंचाई प्रमंडल–रॉंची	577.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**577.85**	
29	लघु सिंचाई प्रमंडल–लातेहार	144.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	**144.80**	
30	लघु सिंचाई प्रमंडल–लोहरदग्गा	143.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**143.85**	
31	लघु सिंचाई प्रमंडल–सरायकेला	178.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**178.85**	
32	लघु सिंचाई प्रमंडल–साहेबगंज	238.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**238.85**	
33	लघु सिचाई प्रमंडल– सिमडेगा	162.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**162.85**	
34	लघु सिचाई प्रमंडल– हजारीबाग	178.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**178.85**	
35	लघु सिचाई प्रमंडल– हुसैनाबाद	140.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**140.85**	
36	लघु सिंचाई रूपांकण एवं मोनेटरिंग प्रमंडल,दुमका	14.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**14.85**	
37	लघु सिचाई रूपांकण प्रमंडल–दुमका, शिविर देवघर	164.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**164.85**	
38	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, रॉंची	190.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**190.85**	
39	निदेशक , भूगर्भ जल निदेशालय,रॉंची	47.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	**47.90**	
40	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल–दुमका	44.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	**44.80**	
41	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल–रॉंची	79.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	**79.85**	
42	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल–हजारीबाग	45.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	**45.80**	
	कुल आवंटन –	**6365.00**	**0.00**	**0.00**	**8.40**	**8.80**	**0.00**	**0.00**	**1.90**	**0.00**	**0.00**	**17.20**	**0.00**	**6401.30**	

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल आवंटित राशि– रुपये चौसठ करोड़ एक लाख तीस हजार मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव(अभि०)

04
11-04-18

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(डी०के०तिवारी)
अपर मुख्य सचिव